

FROM No.III

सहायक कलेक्टर (SDO)
बापत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

सुनाराम बनाम विरमाराम वर्मा

किस्म मुकदमा रा० आबे 111, 128 RLRACT नं 73/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/19	प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRACT राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/03/2019 को पेश हो।	
11/03/19	प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/रेस्पोंडेंट के नोटिस तामील आइस तामील आया। पीठासीन अधिकारी डिग्नर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लव टोडर आगामी दिनांक 08/04/19 को पेश हो।	
08/04/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय यक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी डिग्नर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्सवा होकर दिनांक 20/05/19 को पेश हों।	
20/05/19	प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/रेस्पोंडेंट के नोटिस तामील आया। पीठासीन अधिकारी डिग्नर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लव टोडर आगामी दिनांक 26/08/19 को पेश हो।	



26/09/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तया होकर दिनांक 04/11/19 का
पेश हों।

04/11/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तया होकर दिनांक 10/12/19 का
पेश हों।

10/12/19

प्राची वडील उपस्थित। विजयगिरी वाक्जुड तामिल
मनु उपस्थित। न्यायालय समय तीन बजे आवाज लगाई
गई। प्रैक्टिस आवाज 5-45 पर लगाई गई। विजयगिरी
न्याय या उनसे कोई भी शिक्का उपस्थित नहीं हुआ
लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट काफवाडी मसल में जाई
जानी है। प्राची के शिक्का की एडवोकेट कसम लुनी गई
प्राची के शिक्का द्वारा बताया की प्राची व विजयगिरी के
बेटे सेब सेब साथे हुए है। प्राची व विजयगिरी के बेटे की
के बीच जो पुरानी मांगे व कर्ज साथे हुए है जो वर्तमान
में प्राची की वजह से बिप्लव गये है। जिससे प्राची को
कामने ध्यातेगारी बेटे की बीमाको ठा लगी जान नहीं
है या रहा है। जिससे प्राची व विजयगिरी के मध्य सेबके
लेडर हमेशा लवाजा गया रहता है। जिस कारण प्राची के कामने
ध्यातेगारी बेटे की पक्षी नैयामबनी डरवाना काबखड टाबत-
लिह प्राची द्वारा प्रस्तुत नैयामबनी काबेडन स्वीकार किया
जाडर नैयामबनी काबेडन किया जावे। जिसमें तथ्यालगा रिडा
मसल रहै।

नितः प्राची शिक्का के मिबेडन पर प्राची का
नैयामबनी काबेडन स्वीकार किया जाडर तथ्यालगा रिडा की
डमिशन व सखामिशन भू प्रमिलियु मिरिमिड को सहायक
डमिशन मियुक्त किया जाडर काबेडन किया जाला है कि
प्राय स्वयं या सहायक डमिशन के प्राची के ध्यातेगारी बेटे की
पक्षी नैयामबनी मोड पर ककुल डमिशन सुब्ड जमाडराडर
को पालना रिपोर्ट जाल होने पर शामिल पत्रावली हो।
पत्रावली नैयाम सुगा होडर डर्ज नम्बर के डम में शामिल
इम्तर हो।

10.12.2019
सहायक कलेक्टर (SDO)
नाथन

क्रमांक / वाच / 2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 972

दिनांक:- 10/12/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चुनाराम पुत्र लिच्छमणाराम वगैरा जाति जाट
निवासी मानपुरा खारड़ा (गिड़ा)
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. विरमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा जाति जाट
निवासी मानपुरा खारड़ा (गिड़ा)
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 73/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खारड़ा चारणान पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 82.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 973-77

दिनांक:- 10/12/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री चुनाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री विरमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु